न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मझौल, बेगूसराय

G. R 4580/2014

राज्य बनाम सुनील यादव

दिनांक 30.06.2020

अभियुक्त सुनील यादव की ओर से नवीन शक्ति पत्र के साथ आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया। जमानत की प्रति विद्वान सहायक एवं अभियोजन अधिकारी को प्राप्त करायी गयी। आवेदन प्रचारित हुआ। वाद पुकार पर अभियुक्त उपस्थित हुए। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

जमानत पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त पूर्व से जमानत पर थे। अभियुक्त के पैरवीकार द्वारा उचित पैरवी न करने के कारण अभियुक्त का बंध–पत्र दिनांक 26.09.2016 को खंडित किया गया है। यह कि अभियुक्त ने जान–बूझकर जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है। आवेदक अभियुक्त स्वेच्छा से श्रीमान् के समक्ष उपस्थित है। आवेदक अभियुक्त श्रीमान् के आदेशानुसार बंध पत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा प्रदान की जाय।

जमानत के बिन्दु पर विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक अभियोजन अधिकारी को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में अभियुक्त के अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त का बंध–पत्र दिनांक 26.09.2016 को बंध पत्र खंडित किया गया । अभियुक्त द्वारा जमानत का प्रथम दुरूपयोग है। अतः ऐसी स्थिति में मौ0 10000/– के एक राशि का बंध पत्र न्यायालय में दाखिल करने पर, इस शर्त के साथ कि अभियुक्त <u>एक हजार</u> खर्च और अगली दो निश्चित तिथियों को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे, के साथ अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल बेगूसराय

पश्चात – 30.06..2020 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त की ओर से बंध पत्र दाखिल किया गया है, जिसे जांचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है एवं अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी
मंझौल बेगूसराय